संख्या- 45 /2025/593/26-3-2025-1795469

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 10 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में मशीन और साज-सज्जा /उपकरण एवं संयंत्र क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-355/ज0जा0वि0/2024-25 दिनांक 25.02.2025 एवं संख्या-281/ज0जा0वि0/2024-25 दिनांक 31.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में मशीनें और साज-सज्जा /उपकरण एवं संयंत्र क्रय किये जाने हेतु योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नवत शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा उक्त विद्यालयों में मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र क्रय किये जाने का कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाएगा।

(2) समस्त कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

(3) इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों/क्रय सम्बन्धी शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार सामग्री का क्रय करते हुए वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04-03-2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित कराय जाय कि स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(7) योजानान्तर्गत क्रय की गयी वस्तुओं की सूची एवं उसके सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-2,00,00,000/- (रूपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-081 लेखाशीर्षक 4225-02-796-06-00 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मानक मद-26- मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

Signed by भवदीय,

Rajani Kant Pandey

(रजनी कान्त पाण्डेय)

Date: 07-03-2025 18:48:41 उप सचिव

पृ0 संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0।
8- गार्डफाइल

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव